

प्रेस नोट

twitter-@rampurpolice

जनपद रामपुर
FB-रामपुर पुलिस

दिनांक 27.09.2021

Telegram-@rampurpolice

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अंकित मित्तल द्वारा जनपद में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-

थाना गंज:- 80 किलो प्रतिबन्धित पशु का मांस, अवशेष, वध करने के उपकरण बरामद दो अभियुक्तगण गिरफ्तार-दिनांक 27-09-2021 को थाना गंज, रामपुर पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर मौहल्ला बगीचा छोटे मियाँ में सुलेमान पुत्र नवाब जान के मकान में प्रतिबन्धित पशु का वध करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा दो अभियुक्तगण फरार हो गये। मौके से 80 किलो प्रतिबन्धित पशु का मांस, अवशेष, वध करने के उपकरण बरामद हुए। इस सम्बंध में थाना गंज, रामपुर पर मु0अ0सं0-342/21 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्तगण छुट्टी प्रतिबन्धित पशु को गाड़ी नम्बर डीएल 9 सीआर 2772 में डालकर लाते हैं और वध करके मांस बेच देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम:-

- सुलेमान पुत्र नवाब जान निवासी मौहल्ला बगीचा छोटे मियाँ बजरिया खानसामा थाना गंज, रामपुर।
- मोबीन उर्फ रमजानी पुत्र ईस उर्फ पतारू निवासी मौहल्ला बजरिया खानसामा थाना गंज, रामपुर।

अपराधिक इतिहास

1. सुलेमान का आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0- 594/2018 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट
- मु0अ0सं0- 098/2020 धारा 380/457 भादवि थाना मिलक
- मु0अ0सं0- 99/2021 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट थाना मिलक
- मु0अ0सं0- 101/2020 धारा 4/25 आमर्स एक्ट थाना मिलक
- मु0अ0सं0- 188/2020 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना मिलक

2. मोबीन उर्फ रमजानी का आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0- 761/2019 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट
- मु0अ0सं0- 410/2017 धारा 3/5/8 सी एस एक्ट व 11 पशु कुर्ता अधिरो
- मु0अ0सं0- 99/2020 धारा 3/5क/8 सी एस एक्ट थाना मिलक
- मु0अ0सं0- 188/2020 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना मिलक
- मु0अ0सं0- 43/2019 धारा 3/25 आमर्स एक्ट थाना सिविल लाईन
- मु0अ0सं0- 219/2015 धारा ¾ दहेज अधिरो व 323/354(ख) /498ए/506 भादवि

कार्यवाही-

मु0अ0सं0- 342/2021 धारा – 3/5/8 सी0एस0एक्ट

बरामदगी-

अभियुक्तगण के कब्जे से एक कार DL 9 CR 2772 व 80 किलो प्रतिबन्धित पशु का मास बरामद होना।

गिरफ्तार करने वाली टीम थाना गंज:

- उ0 निरी श्री लईक अहमद
- का0 1148 शेखर कुमार
- का0 1054 नफीस अहमद



थाना गंज:- 80 किलो प्रतिबन्धित पशु का मांस, अवशेष, वध करने के उपकरण बरामद दो अभियुक्तगण गिरफ्तार

थाना अजीमनगर:-14 साल के लड़के के साथ कुकर्म करने वाला गिरफ्तार-

दिनांक 26-09-2021 को प्रताप सिंह पुत्र रामलाल निवासी ग्राम धुलियागंज थाना अजीमनगर रामपुर द्वारा थाना अजीमनगर क्षेत्र के रहने वाले एक 14 वर्ष के लड़के के साथ कुकर्म किया था। इस सम्बन्ध में थाना अजीमनगर, रामपुर पर मु0अ0सं0 273/21 धारा 377 भादवि व 3/4 पोक्सो अधि० बनाम प्रताप सिंह पंजीकृत हुआ था। इसी क्रम में थाना अजीमनगर, रामपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रताप सिंह पुत्र रामलाल निवासी ग्राम धुलियागंज थाना अजीमनगर रामपुर को शमशान घाट चौराहा निकट ग्राम धुलियागंज से गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है।



थाना अजीमनगर:-14 साल के लड़के के साथ कुकर्म करने वाला गिरफ्तार

थाना केमरी-दहेज हत्या में दो अभियुक्तगण गिरफ्तार-

अमित पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम रास थाना केमरी जनपद रामपुर आदि 07 अभियुक्तगण द्वारा वादिनी श्रीमति ममता निवासी जनूनागर थाना केमरी की पुत्री शिवानी उर्फ सुहानी उम्र 22 वर्ष को दहेज के लिए प्रताडित करने व दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर देने के सम्बन्ध में दिनांक 30-07-2021 को थाना केमरी पर मु0अ0सं0-113/2021 धारा 498ए,323,304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत हुआ था।

आज दिनांक 27-09-2021 को थाना केमरी पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्तगण 1. कैलाश बाबू 2. दीपक उर्फ टीटू पुत्रगण रामसिंह निवासीगण ग्राम रास थाना केमरी जिला रामपुर को ग्राम सिमरा मोड से गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है।



थाना केमरी-दहेज हत्या में दो अभियुक्तगण गिरफ्तार-

थाना स्वारः-ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए 05 अभियुक्तगण गिरफ्तार-

दिनांक 27-09-2021 को थाना स्वार रामपुर पुलिस द्वारा मौहल्ला अगलगा कस्बा व थाना स्वार में जमील के घर ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए 05 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे व फड से 1500 रूपये, 52 ताश के पत्ते बरामद हुए। इस सम्बंध में थाना स्वार, रामपुर पर मु0अ0सं0-472/21 धारा 3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1-जमील पुत्र साबिर निवासी मौहल्ला अगलगा कस्बा व थाना स्वार, रामपुर।
- 2-फारूख पुत्र मौहम्मद अहमद निवासी मौहल्ला अगलगा कस्बा व थाना स्वार, रामपुर।
- 3-रिजवान पुत्र मौहब्बे अली निवासी मौहल्ला अगलगा कस्बा व थाना स्वार, रामपुर।
- 4-रियाजुल नवी पुत्र शाकुल नवी निवासी मौहल्ला अगलगा कस्बा व थाना स्वार, रामपुर।
- 5-खुशर्दी पुत्र रहीस निवासी मौहल्ला अगलगा कस्बा व थाना स्वार, रामपुर।



थाना स्वारः-ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए 05 अभियुक्तगण गिरफ्तार-